फर्द अहकाम

रामेश्वरी कौं V/S रामकरण कौंर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

नाम न्यायालय

प्रार्थनापत्र

केस संख्या 32/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा की कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	25/4/18	वकील उपप्रार्थी उप०। पैरोकार सरकार उप०। गत आदेश की पालना में दिनांक 18/8/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)
	18/6/18	फड़ावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2018 कैम्प तहसील में पेश हुआ। प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया। अतः मूलवाद के तथ्यों पर प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण तक दोनों पक्षों को ता फैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम ख०न० 61/0.11, 734/0.20, 743/0.03, 745/0.50, 761/0.16, 763/0.26 है० वाके ग्राम दाणी सेवरा तहसील विराटनगर की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण फैसल शुमार होकर मजकूर से कमहे निर्णय मजमा ए आम कैम्प तहसील में सुनाया गया। पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर